

प्रेषक

उप-जिलाधिकारी,
उन्नाव-सदर
जनपद उन्नाव।

सेवा में,

सह-अध्यक्ष,
ग्रेट गैन्जेज एजुकेशन सोसायटी,
गदन खेड़ा, उन्नाव।

पत्रांक संख्या: 1049 /का.उ.जि./2018

दिनांक 24/12/18

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 05.02.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त के सम्बन्ध में स्थलीय एवं अभिलेखीय जाँच उपरान्त प्रेषित आख्या दिनांक 21.12.2018 के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है, कि ग्राम गदनखेड़ा पर0 हड़हा तहसील व जिला उन्नाव स्थित भूमि गाटा संख्या 313 रकबा 0.339 हे0, 314 रकबा 0.126 हे0 एवं 315क(मि.) रकबा 0.477 हे0 एवं 320 रकबा 0.0776 हे0 भूमि संक्रमणीय भूमिधर के रूप में ग्रेट गैन्जेज इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित ग्रेट गैन्जेज एजुकेशन सोसायटी कानपुर, द्वारा चेयरमैन तेजनरायन अग्रवाल पुत्र स्व0 राधेलाल अग्रवाल निवासी 4/276/-ए0 पार्वती बाँगला रोड रानीघाट कानपुर के नाम पर अंकित है। उपरोक्त भूमि को आदेश संख्या 26 दिनांक 27.01.2009 के माध्यम से राजस्व की धारा 143 के प्राविधानों के आधीन पारित आदेशों के क्रम में अकृषिक/शैक्षणिक कार्य हेतु घोषित किया जा चुका है एवं प्रश्नगत भूमि ग्रामीण क्षेत्र में वर्गीकृत है।



प्रमाण पत्र

पत्रांक संख्या: 1048 / का.उ.जि./2018

दिनांक 24/12/18

महोदय,

प्रमाणित किया जाता है, कि ग्राम गदनखेड़ा पर0 हड़हा तहसील व जिला उन्नाव स्थित भूमि गाटा संख्या 313 रकबा 0.339 हे0, 314 रकबा 0.126 हे0 एवं 315क(मि.) रकबा 0.477 हे0 एवं 320 रकबा 0.0776 हे0 भूमि संक्रमणीय भूमिधर के रूप में ग्रेट गैन्जेज इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित ग्रेट गैन्जेज एजुकेशन सोसाइटी उन्नाव, द्वारा चेयरमैन तेजनरायन अग्रवाल पुत्र स्व0 राधेलाल अग्रवाल निवासी 4/276/-ए0 पार्वती बाँगला रोड रानीघाट कानपुर के नाम पर अंकित है। उपरोक्त भूमि को आदेश संख्या 26 दिनांक 27.01.2009 के माध्यम से राजस्व की धारा 143 के प्राविधानों के आधीन पारित आदेशों के क्रम में अकृषिक/शैक्षणिक कार्य हेतु घोषित किया जा चुका है एवं प्रश्नगत भूमि ग्रामीण क्षेत्र में वर्गीकृत है।

